संख्या-120/2015/1722/41-15-24 यो0/2015

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2015

विषय- पर्यटन विभाग के जनपद अमेठी के जगदीशपुर में स्थित 5.00 एकड भूमि भारत सरकार द्वारा गठित समिति (इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर) के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी शुल्क के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-713/6-1-1(417)/जगदीश/2015 दिनांक 15-07-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद अमेठी में स्थित जगदीशपुर में इन्सटीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु मानक मद 03 पर्यटक आवास गृहों के लिए भूमि की अध्याप्ति मद में प्राविधानित राशि रू0 25.00 लाख में से रू0 2,23,500-/ (रू0 दो लाख तेईस हजार पांच सौ मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद अमेठी के जगदीशपुर में स्थित 5.00 एकड भूमि भारत सरकार द्वारा गठित समिति (इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर) के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का भुगतान संलग्न प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 30.69 लाख (रू0 तीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shegarnadesh.up.nic.in

3. कार्य की बित्तीय प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05- जनपद आगरा में ताज अन्तर्राष्टीय हवाई अड्डे की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 करोड में से पुर्नविनियोग के माध्यम से संलग्न विवण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03- पर्यटक आवास गृहों के लिए भूमि अध्यासि-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या आरई0-7-751(1)/दस-2015, दिनांक-10 अगस्त, 2015 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-120/2015/1722(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4- जिलाधिकारी, अमेठी।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in